परिपत्र संख्या-आई0टी0-जी0एस0टी0अपडेशन माइग्रेशन (2016-17)/ 920 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 ,दिसम्बर 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या-आई0टी0-जी0एस0टी0अपडेशन माइग्रेशन (2016-17)/905/वाणिज्य कर दिनांक 19-12-2016 द्वारा डेटा माइग्रेशन के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए व्यापारियों का GSTN Portal पर व्यापारी के नामांकन (Enrolment) की प्रक्रिया स्पष्ट की गयी है। व्यापारी को प्रोविजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व है व्यापारियों को प्रोवीजनल आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निम्नवत है :-

1- व्यापारी की प्रोविजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड, यदि वह ई-सर्विसेज प्रयोग करता है तो उसके लॉगिन पर उक्त पत्र की पी0डी0एफ0 कापी उपलब्ध है। यदि व्यापारी द्वारा वर्तमान में भी स्वयं को आनलाइन सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसकी लॉगिन आई0डी0 पर GSTN पर प्रेषित लॉगिन आई0डी0 तथा पासवर्ड पी0डी0एफ0 कापी में उपलब्ध हो जायेगी।

2-ऐसे सभी व्यापारी जिनका मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 विभागीय डाटाबेस में उपलब्ध है उन्हें SMS एवं E-mail Id के माध्यम से Provisional-ID तथा Password प्रेषित किया गया है। ऐसे व्यापारी भी प्रोविजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड प्राप्त न होने की स्थिति में कार्यालय से प्रोविजनल आई0डी0 व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

3- स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से यह व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये कि व्यापारियों के प्रोवीजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा उनके द्वारा कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रोवीजनल आई0 डी0 व पासवर्ड कार्यालय में उपलब्ध होने की सूचना पत्रवाहक के माध्यम से भी सम्बन्धित व्यापारियों को प्रेषित की जाये।

4- व्यापार मण्डल का सहयोग लेते हुए प्रमुख बाजारों में कैम्प लगाकर व्यापारी को उनकी प्रोवीजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड उपलब्ध कराये जाये।

5- यदि कोई व्यापारी कार्यालय आने में असमर्थ है तथा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रोवीजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है तो करनिर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी की प्रोवीजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड उस अधिकृत व्यक्ति से अधिकार पत्र लेकर उसे उपलब्ध करा दिया जाये।

6- GSTN Portal पर Enrolment हेतु समस्त सूचनाएँ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसके अतिरिक्त www.gst.gov.in पर भी व्यापारी द्वारा Enrolment किया जा सकता है।

विभाग द्वारा तथा GSTN द्वारा समस्त व्यापारी, अधिवक्ता, एकाउन्टेन्ट्स के सहायतार्थ निम्न फोन नम्बर- 0124-4688999 तथा 0522-2721944, 3312600 उपलब्ध कराये गये हैं जिस पर GSTN Enrolment सम्बन्धी सूचना अथवा कोई भी जानकारी उपलब्ध है।

21/12/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।